



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 708/2014..... जिला : जयपुर.....

मैसर्स अरोमा टेलीकॉम प्रा.लि., जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, वृत-जी, जयपुर व उपायुक्त(अपील्स) प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.05.2014	<p style="text-align: center;">खण्डपीठ श्री सुनील शर्मा, सदस्य श्री अमर सिंह, सदस्य</p> <p>अपीलार्थी की ओर से वक्त सुनवाई श्री विक्रम गोगरा, विद्वान अभिभाषक एवं विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैड़ उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये हैं, के विरुद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी है। सहायक आयुक्त, वृत-जी, जयपुर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 22, 55 एवं 58 अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.02.2013 निर्धारण वर्ष 2010-11 के सम्बन्ध में कायम की गयी मांग राशि रु. 8,85,385/- की गयी थी। अपीलीय अधिकारी के आदेश के अनुसार दिनांक 10.03.2014 द्वारा संशोधन के पश्चात शेष रही राशि रु. 3,96,093/- का स्थगन प्रदान किये जाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उन्होंने 3,96,093/- में से रु. 1,95,000/- पर स्थगन प्रदान करने हेतु अपीलार्थी द्वारा मय अपील स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के समक्ष की गई। अपीलीय अधिकारी ने स्थगन हेतु आवेदित राशि रु. 3,96,093/- में से रु. 1,95,000/- की वसूली पर रोक लगाते हुए शेष वसूली रु. 2,01,093/- पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए शेष वसूली योग्य रु. 2,01,930/- की वसूली स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है।</p> <p>उभय पक्षीय की बहस सुनी तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग राशि में से रु. 2,01,093/- के स्थगन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन व्यवहारी के पक्ष में होना अंकित करते हुए स्थगन हेतु आवेदित राशि रु. 3,96,093/- में से रु. 1,50,000/- की वसूली पर रोक लगाते हुए शेष वसूली रु. 2,01,093/- पर रोक नही लगाने के सम्बन्ध में अपने अपीलाधीन आदेश में कोई कारण अंकित नहीं किया है। अतः उभय पक्षीय तर्कों पर विचार करने के पश्चात हस्तगत प्रकरण में गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलीय अधिकारी के आदेशान्तर्गत शेष वसूली योग्य रु. 2,01,093/- की वसूली बाबत, अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष के अनुरूप इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस में नियमानुसार समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर उक्त वसूली मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीनों माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (अमर सिंह) 29-5/14 सदस्य </p> <p style="text-align: center;">  (सुनील शर्मा) सदस्य </p>	